कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1588/33 सी दिनांक 19/7/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.692 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 एवं आपका पत्रांक 2117/12–1(2) दिनांक 15.03.2018

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/72/2017/एफ0सी0/1989 दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या चार–चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

शर्त सं0 1 :– क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 907891.00 की धनराशि ऑन लाईन दिनांक 17.07.2018 को जमा कर दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न है) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम आमणी की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.258 हे0मी0 का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर को इस कार्यालय के पत्रांक 669/33सी0 दिनांक 26.03.2018 एवं पत्रांक 1578/33सी0 दिनांक 18.07.2018 द्वारा लिखा गया है।

शर्त सं0 2 :– एन0पी0बी0 की धनराशि रू0 1376505.00 चालान द्वारा ऑन लाईन दिनांक 17.07.2018 को जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 3 :– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0बी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 4 :– आपके द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिये गये ड़िमान्ड़ नोट के आधार पर वांछित धनराशि सी0ए0एफ0 नई दिल्ली को चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)

शर्त सं0 5 :– सड़क निर्माण के पश्चात जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टरल वेज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रिप प्लान्टेशन की जायेगी की वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त भू–वैज्ञानिक के सुझाव एवं जिलाधिकारी टिहरी द्वारा वन अधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित (एफ0आर0ए0) का प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संलग्न है।

शर्त सं0 6 :– इम्प्लोयमेन्ट जनरेशन को पूर्व में ही संशोधित कर दिया गया था।

शर्त सं0 7 :– Para 13 (iii) Onlinr II प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग से सम्बन्धित है तथा मिलवा निस्तारण में ली जाने वाली नाप भूमि मलवा निस्तरण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व में ही रहती है जिस कारण मलवा निस्तारण में ली जानी वाली भूमि को कम्पोनन्ट वाईज ब्रेकअप में नहीं लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार चार–चार प्रतियों में।

(इं0 विनोद नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 1588/33 सी दिनांक 19/7/2018

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनाथ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

उत्तराखंड से नडार गाँव मोटर मार्ग

AGENCY COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-07-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6122245229
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2017/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	2284396/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Twenty-Two Lakh Eighty Four Thousand Three Hundred and Ninety-Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (ECS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD

CAMPA-MOEF Copy

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-07-2018

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6122245229
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2017/FC
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	2284396/-
Beneficiary Branch and Code.	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Twenty-Two Lakh Eighty Four Thousand Three Hundred and Ninety Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (ECS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

BANK COPY

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 16-07-2018

Client Code	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PWD
PIF/Application No.	6122245229
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/72/2017/FC
Address	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GARTehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id Mobile No. Landline No.	eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	2284396/-
Beneficiary Branch and Code	Corp Bank Lodhi complex (0371)

Amount in Words: Twenty Two Lakh Eighty Four Thousand Three Hundred and Ninety Six Rupees Only

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (ECS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD

प्रारूप सं0 – 1.90

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 8.00 कि0मी0)।

स्वीकृति सन्दर्भ :– 549 / III(2) / 14–49(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत **आमणी से गड़ाकोट** तक मोटर मार्ग 8.00 कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही 8.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के **आमणी से गड़ाकोट** तक मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये 0.675 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.954 है0 सिविल वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.629 है0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि 5.571 है0 ग्राम पंचायत **आमणी, गड़ाकोट** के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

Photo Copy Att

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधि0 अभि0
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि0ग0

रा0 उप निरीक्षक

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि0 ग0

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri [illegible] I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in ***Devprayag*** Block area measuring 1.629 Hectares for the construction of ***Aamani to Gadakot Motor Road*** in Tehsil ***Devprayag*** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee of ***Kirtinagar*** Sub Division where discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Photo copy Att

Place:- Tehri
Date- 28/12/2015

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर टि०ग०

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. Dated 28/12/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settetement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.629 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Aamni to Garakot Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of Aamni and Garakot Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 1.629 **Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
(Distt. Colector)

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

An

It is further certified that-

Minutes of meeting of *Aamani to Gadakot* Motor Road (8.00 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.629 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत
39 आमणी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
घनसाली-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.0 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) (0.675 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, — हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.629 हे0 वन भूमि) का लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के० के० मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के० के० मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– श्री डी० पी० बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्री विनोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4– श्रीमति कंचन पोखरियाल	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना हेतु .... हे0 वन भूमि लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Photo Copy Att

क्रमशः – 2 – पर

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–म० कीर्तिनगर टि०ग०

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि लो०नि०वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(हस्ताक्षर) 24/08/16

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Photo copy (हस्ताक्षर)

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

(हस्ताक्षर) 24/08/16

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
कीर्तिनगर, टि० ग०
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

63

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत कुमाल्डी से मलाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 किमी०।

दिनांक 12.8.16 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	श्री के.के. मिश्रा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि० ग०
2	" डी.पी. कठोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	विनोद कुमार जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	12/8/16
4	श्रीमती कंचन चौहान	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	कंचन चौहान

Photo Copy ...

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

12/08/16
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड्ढाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम-चरण) लम्बाई 8.00 किमी।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....आमणी....

तहसील ..देवप्रयाग.., जिला ..टिहरी गढ़वाल..

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ..टिहरी गढ़वाल.. के अन्तर्गत ..आमणी से गड्ढाकोट तक मोटर मार्ग.. परियोजना के निर्माण हेतु (0.675 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे0 सिविल सोयम भूमि, ...—... हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.629 हे0 वन भूमि का ..लो० नि० वि० – कीर्तिनगर.. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ..आमणी.. द्वारा दिनांक ..15-06-2016.. को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ..आमणी.. के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ..लो० नि० वि० – कीर्तिनगर.. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [signature]
ग्राम सचिव

[Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत आमणी, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल]
ह0 [signature]
दिनांक 15-06-16
ग्राम प्रधान

नोट :– • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo Copy

फोटो प्रति प्रमाणित

[signature]
सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

[signature]
सहायक अभियन्ता
अ0 ख0. लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रपत्र–23

दिनांक 15-06-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत आमणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	ओम प्रकाश भट्ट	[illegible]
	द्वारिका प्रसाद	[illegible]
	चिन्तामणि	[illegible]
	रामस्वरूप भट्ट	[illegible]
	कौसल लाल	Koshlal
	जगदम्बा प्रसाद भट्ट	[illegible]
	शिवानन्द भट्ट	[illegible]
	दिवाकर प्रसाद भट्ट	[illegible]
	लीला देवी	लीला देवी
	हरिशचन्द्र	[illegible]
	सुन्दर लाल	[illegible]
	वीरेन्द्र भट्ट	वीर
	अरुण भट्ट	[illegible]
	जितेन्द्र प्रसाद भट्ट	[illegible]
	शिवप्रसाद भट्ट	[illegible]
	हरिश चन्द्र	हरिश चन्द्र
	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
	[illegible]	[illegible]
	दुर्गा प्रसाद भट्ट	[illegible]
	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	[illegible]
	चन्द्रमोहन	[illegible]
	रेखा देवी	रेखा देवी
	विजय लक्ष्मी	विजय लक्ष्मी
	शान्ति प्रसाद भट्ट	[illegible]

Photocopy [illegible]

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

स० अभि० –
प्र० खं० लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

ह०/ ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत आमणी
ह०
दिनांक 15-06-2016

68

प्रारुप—33

परियोजना का नामः— जनपद टिहरी गढवाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

भू—वैज्ञानिक की आख्या (प्रतिवेदन सहित)

——— संलग्न है।———

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख0. लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या एस0जी0– 821 / सडक / पुल समरेखण / गढवाल / 2015

Geological Assessment of 5.350 km long alignment corridor proposed for Aamni to Gadakot motor road, Distt. Tehri Garhwal.

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता- I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–म० कीर्तिनगर टि०ग०

15–जुलाई–2015

Geological Assessment of 5.350 km long alignment corridor proposed for Aamni to Gadakot motor road, Distt. Tehri Garhwal.

Vijay Dangwal
15-07-2015

1. Introduction:- The Construction Division, Public Works Department, Kirtinagar has been entrusted for the construction of 5.350 km long motor road namely Aamni to Gadakot motor road in Devprayag Block, District Tehri Garhwal vide G.O. No. 549/III(2)/14-49 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29.01.2014. On the request made by Shri. B.P. Nautiyal, Executive Engineer I carried out the geological assessment of the proposed road on 10.07.2015 along with Shri. S.S Rawat, Astt, Engineer and Shri. Kamlesh Chand, Jr. Engineer, PWD, Kirtinagar. This site was earlier visited by me on 18.12.2014 for assessment of the alignment corridor proposed that time which on the basis of various geological and geotechnical parameters was rejected.

2. Location:- The alignment corridor of the proposed road originates from km 54 HM 4-6 of Tehri Hindolakhal Devprayag major District road. It contains 06 HP Bends and it connects Mulyagaon Palethi motor road to Gadakot motor road located in Devprayag Block, Distt. Tehri Garhwal.

3. Geological Assessment:- Located in a part of Lesser Himalayan Domain of Garhwal region. Mostly the phyllites belonging to Chanpur Formation of Jaunsar Group are exposed in and around this alignment corridor. The terrain is characterized by the moderately inclined hill slopes oriented towards NE-SE directions. The entire area of this alignment passes from the upslopes of river Alaknanda and most of the slopes of this region are occupied by the thick overburden material. Scanty outcrops of bed rocks are also exposed on and across this alignment corridor. The rock masses are generally thinly foliated partially weathered and oxidized in nature and these are traversed by five prominent joint sets. These rock masses exposed around the alignment corridor exhibits low values of physical competency. The overburden material deposited on the cross slopes is naturally dense, non-dispersive and hard in nature. This material is mostly residual soils which are formed due to the decomposition of the bed rocks i.e phyllites/schistose phyllites. The slope forming soils contains high percentage of clay minerals like chlorite, micas and as observed very low percentage of the deadrital quartz. The clay minerals present in the slope forming material are highly susceptible for decomposition and deformation while the mineral quartz resists any type of exogenic alteration. The clay minerals present in these soils absorbs water rapidly and proportionally exhibits contrast very low values of shear strength as compared to their hard state. It has been observed that a huge landslide has generated in the geological past in this area and a part of km 1 passes through it though presently the slope has got natural stabilization with the growth of time but it is apprehended that unscientific and topogenic activity across this slide may activate and regenerate the conditions for the slope failure. Therefore, it is advised that the road in this section must be constructed by walling only and any type of excavation in this reach is geologically restricted.

छायाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर टि०ग०

71

On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and the facts mentioned above the following suggestions are being made for the construction of the proposed road failing to these report will be automatically treated as cancelled.

4. Recommendations:-

1. Form the road by part cut and part fill techniques and compact the fill by proper dynamic method.
2. The entire section passing below and adjoining Aamni market shall be constructed by walling only.
3. It is advised that if the constrains related to the land acquisition is resolved reduce the HP Bends to 02 to 03 No's maximum.
4. Do not dispose the excavated waste on the lower slopes.
5. The entire stretch of the rod must have adequate drainage arrangements, i.e. wide hillside lined drain with proper cross drainage arrangements.
6. Make proper arrangements for the disposal of waters on the down hill slopes. Flow of the accumulated water on the lower slope will threat the overall hill slope stability.
7. Protect the entire road by properly designed retaining/breast walls.
8. All the construction activity must be carried out as per the standard codes of practice laid by the BIS and MORTH.

5. Conclusion:- On the basis of the geological/geotechnical studies carried at the site and with the above recommendations, the site proposed was geologically found suitable for the construction of 5.350 km long motor road namely Aamni to Gadakot motor road in Devprayag Block, District Tehri Garhwal

15/7/15

(Vijay Dangwal)
Sr. Geologist
Office of the Engineer in Chief,
PWD, Dehradun

छाया प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अ० ख०. लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

Photo Copy Att

सहायक अभियन्ता-1
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

प्रारुप–34

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का ***प्रयोक्ता एजेन्सी*** द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता-1
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–मु० कीर्तिनगर टि०ग०

सहायक अभियन्ता
खं0. लो0 नि0 वि0 श्रीनगर

प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

प्रारुप–35

73

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर टि०ग०

सहायक अभियन्ता
अ० ख0. लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका [illegible] आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

सहायक अभियन्ता-।
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-पु० कीर्तिनगर टि०ग०

14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर-मु० कीर्तिनगर टि०ग०

सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

131

प्रारुप–51

परियोजना का नामः– जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 8.00 किमी0

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता-I
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
श्रीनगर–म०/कीर्तिनगर टि०ग०

सहायक अभियन्ता
प्रा० खं० लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

कार्य का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.692 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सैन्ट्रल वर्ज पर स्ट्रीप प्लानटेशन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़के के दोनो विनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Stip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

कार्य का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.692 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सैन्ट्रल वर्ज पर स्ट्रीप प्लानटेशन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रंयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Stip Plantation किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
नु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर
नु0 कीर्तिनगर